

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर

पत्रांक/प्रशिक्षण-4/

/ 2021-22 दिनांक 07.8.21

विज्ञापि/आदेश

कार्यालय के पत्रांक/प्रशिक्षण-4/18535-44/2017-18 दिनांक 30-12-2017 के द्वारा, विद्या सागर एजुकेशन सेन्टर टिकरा चौहान नरवल, कानपुर नगर को कक्षा प्री से 8 तक 'अंग्रेजी माध्यम' को सत्र 2018-19 से आगामी तीन शैक्षिक सत्र हेतु मान्यता प्रदान की गई थी। विद्यालय प्रबन्धक के द्वारा किये गये आवेदन-पत्र/प्रार्थना-पत्र के क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी/जोध अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय को स्थाई मान्यता दिये जाने की संस्तुति की गई है।

उक्त संस्तुति के आलोक में निम्न विवरण के अनुसार विद्यालय को प्रदान की गयी अनन्तिम मान्यता, आदेश निर्गमन तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप विद्यालय संचालन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि नवीन कालवादेश संख्या 89/अवसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 के प्रस्ताव-2-(1) में वर्णित शर्तों (व्यवस्थेबद्ध) का पालन निर्धारित समय के अन्तर्गत किया जाना अनिवार्य होगा।

क्र.सं.	विद्यालय का नाम व पता	विकासखण्ड का नाम	मान्यता का माध्यम	मान्य कक्षाएं	मान्यता आदेश संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	विद्या सागर एजुकेशन सेन्टर टिकरा चौहान नरवल, कानपुर नगर	सरसौल	अंग्रेजी माध्यम	कक्षा प्री से 8 तक	पत्रांक/प्रशिक्षण-4/18535-44/2017-18 दिनांक 30-12-2017

(डा० फांन कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

पत्रांक/प्रशिक्षण-4/ 4428-37 /2021-22

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- शिक्षा निदेशक (वि०) उ०प्र० निशातगंज लखनऊ।
- 2- एडि० बेसिक शिक्षा परिषद प्रकाशराज।
- 3- सहायक सहायक शिक्षा निदेशक (वि०) कानपुर मण्डल कानपुर।
- 4- जिला समन्वयक अत्याम अधिकारी कानपुर नगर।
- 5- जिला अल्पसंख्यक अत्याम अधिकारी कानपुर नगर।
- 6- जिला शिक्षा एवं अत्याम अधिकारी कानपुर नगर।
- 7- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
- 8- सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धक।
- 9- कार्यालय कार्य प्रारंभ।

VIDYASAGAR EDUCATION CENTRE

MANAGER

VIDYASAGAR EDUCATION CENTRE

Principal

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।